

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./एनटीसी/ए/67/एससीए/अतिशेष/2019/345
प्रति,


भोपाल, दिनांक 30.07.19

जिला शिक्षा अधिकारी
भोपाल।

विषय :- स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 के विरुद्ध भोपाल जिले के अतिशेष शिक्षकों की जानकारी संकुल प्राचार्यों से बुलाये जाने के संबंध में।

:: 00 ::


जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के पत्र क्र./स्थापना/अतिशेष शिक्षक/2019/6665-6666, दिनांक 22.07.2019 के द्वारा भोपाल जिले के अतिशेष शिक्षकों के संबंध में समस्त संकुल प्राचार्य, शा. उमावि/हाईस्कूल को पत्र लिखा गया है। यह पत्र विभागीय स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाता है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी तथा स्थानान्तरण नीति की कण्डिका-1.5 के अन्तर्गत प्राथमिकता क्रम के आधार पर शाला के आवंटन का प्रावधान है। तदनुसार अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना एज्युकेशन पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी।


(जयश्री कृष्णाक्षर)
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 30.07.19

पृष्ठां.क्र./एनटीसी/ए/67/एससीए/अतिशेष/2019/346
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (भोपाल को छोड़कर) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश